

न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), बीसलपुर, जिला पीलीभीत ।

मूल वाद संख्या: 33 सन् 2020

C.N.R-U.P.P.B12000042-2020

जगदीश प्रसाद

-बनाम-

अनुपम मिश्रा आदि ।।

वाद प्रस्तुत करने का दिनांक : 03.03.2020
वाद का प्रकार : स्थाई निषेधाज्ञा/बैनामा निरस्तीकरण।
अधिवक्ता वादी : श्री हरीशंकर तिवारी, एड0.
अधिवक्ता प्रतिवादी :

दिनांक:03.03.2020

आज यह वाद प्रस्तुत हुआ। दर्ज रजिस्टर नं03 है। प्रतिवादीगण को समन जारी हो। पत्रावली वास्ते लिखित कथन दिनांक 03.04.2020 एवं निर्मित किए जाने वाद बिन्दु दिनांक 17.04.2020 को पेश हों।

(अनुपम सिंह)

सिविल जज,(जू0डि0),बीसलपुर,
जिला पीलीभीत ।

दिनांक:03.03.2020

पत्रावली पेश हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग पर एक पक्षीय रूप से सुना। प्रतिवादीगण को बिना सुने एक पक्षीय रूप से अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण 6ग दिनांक 20.03.2020 को पेश हो।

(अनुपम सिंह)

सिविल जज,(जू0डि0),बीसलपुर,
जिला पीलीभीत ।